

(5)

17-07-17

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र
उपस्थित दिनांक पर अनुपस्थित । उक्त
वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण
हो चुकी है अर्थात् वाद कालव्यपित हो
गया है । अतः वाद में अभिलेख की
कारवाही बन्द की जाती है ।

f
17/7/17
कार्यपालक दफ्तराधिकारी
बुण्डू (राँची)